**FROM No.III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ........ मुकाम ........

भारवाराम वगैरा बनाम अल्हाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धा. 111 व 128 RLR Act नं. 151/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.5.19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भादू ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.6.19 को पेश हो। | |
| 12/06/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो। | |
| 15/10/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगन बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधि-वक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थी-गणों के खेत सेठा सेठ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठों पर जो पुरानी मोठ व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है बरसात की आवक होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेठों को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में अमल कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की | |

Scanned by CamScanner

पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखम-बन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर ~~शुल्क~~ कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल मिशल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विनोद व्यास
15.10.2019
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

नायब तहसीलदार
(राज दफ्तर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

कमांक / वाद / 2019 / 626 दिनांकः– 15/10/19

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. लाखाराम पुत्र चुतराराम वगैरा जाति जाट निवासी चवानाड़ा कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर | | 1. लच्छाराम पुत्र ऊदाराम वगैरा जाति जाट निवासी चवानाड़ा कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर) |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या 151 / 19

**आदेश**

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवानाड़ा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 74, 75, 386/78 रकबा 0.05, 33.150, 24.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमवंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (बायतु)

दिनांकः– 15/10/19

कमांक / वाद / 2019 / 627–631

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री लाखाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री लच्छाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा / बायतु।

उपखण्ड अधिकारी (बायतु)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:25:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: